



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852



पत्रांक : 01/यो0ब0-35/2021- 772 दिनांक : 24/11/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची/गुमला वन प्रमंडल, गुमला/खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी/लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा/लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार/जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर/सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा/कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा/पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा/चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा/दुमका वन प्रमंडल, दुमका/पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़/साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज/जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा/उप-निदेशक, व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी वन प्रमंडल, मेदिनीनगर।

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चरल ऑपरेशन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य, बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्य हेतु **रु0 854.744 (आठ करोड़ चौवन लाख चौहत्तर हजार चार सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंग:-** विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-33/2020-15/स्वी0 व0प0 दिनांक 22.10.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0ब0-32/2020-35/आ0 व0प0 दिनांक 26.10.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 854.744 (आठ करोड़ चौवन लाख चौहत्तर हजार चार सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060179640010103	683.584
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060179640010323	171.160
कुल :-		854.744

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1(क) एवं 1(ख) पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की

निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक-2(क) एवं 2(ख)** पर, स्थल विवरणी **अनुलग्नक-3(क) एवं 3(ख)** पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060179640010103 एवं 19S24060179640010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरू करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल-मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हे० लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाएगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाएगा।

5. वन संवर्द्धन कार्य के दौरान खूंटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोड़कर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

7. वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची द्वारा विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों का सघनता (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्यों के प्रभाव का तुलनात्मक शोध अध्ययन किया गया है, जिसकी Soft copy इस पत्र के साथ संलग्न है। बाँस वनों में कंजेशन हटाने एवं वन वर्द्धन कार्य शोध में वर्णित Model-III के अनुसार ही किया जायेगा। इस मॉडल पर कार्य करते समय यदि कोई कठिनाई आए तो मुख्य वन संरक्षक, शोध से संपर्क कर मार्ग निदेश माँगा जा सकता है।

8. Silviculture operation की योजना के अंतर्गत बाँस बखार की सफाई के लिए व्यय हेतु एक हे० में 200 बखार की संख्या मानक मानी गई है एवं उसी अनुरूप राशि का व्यय किये जायेंगे।

9. इस योजना में प्राकृतिक रूप से पुनर्जनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया

जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

12. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

14. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे।

15. (i) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेंसी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :-

(ii) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(iii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iv) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

(v) ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(vi) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vii) दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(viii) विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्पटाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

16. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :-

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2021-22 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

17. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते/डाकघर खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद (CASH) भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(IX) कंडिका- VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

18 (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से

विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

19. (i) COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

(ii) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के निर्देशों का पालन किया जाय।

22. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

23. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

24. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेगा।



25. कोषागार से निकासी के संबंध में समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

26. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

27. प्रशासी विभाग से योजना की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्राप्त है कि उप-वन संरक्षक, व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर हेतु स्वीकृत राशि को मेदिनीनगर के दो पंचायतों राबदा (सतबरवा ब्लॉक) एवं वकोरिया पंचायत तथा लातेहार के जिलों में खर्च किया जाएगा। अतः उप निदेशक, व्याघ्र परियोजना दक्षिणी वन प्रमंडल, मेदिनीनगर वन प्रमंडल को निदेश दिया जाता है कि इस योजना अन्तर्गत उप-आवंटित राशि से उपरोक्त स्थलों पर ही कार्यों का संपादन करेंगे तथा कार्य प्रारम्भ करने से पहले अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से स्थल विवरणी इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिन वन प्रमंडलों से प्राप्त स्थल विवरणी में प्लॉट संख्या अंकित नहीं है, वो प्लॉट संख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही राशि व्यय करेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-35/2021- 772 दिनांक- 24/11/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, व्याघ्र परियोजना, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ पलामू/ जमशेदपुर/ दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला/ मेदिनीनगर/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ दुमका/ देवघर/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-35/2021- 772 दिनांक- 24/11/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ गुमला/ खूँटी/ लोहरदगा/ सिमडेगा/ लातेहार/ जमशेदपुर/ सरायकेला/ चाईबासा/ दुमका/ पाकुड़/ साहेबगंज/ जामताड़ा/ मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)					
क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			40472.90	13243.14	53716.04
(क)	राँची रीजन				
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	100	40.473	13.243	53.716
2	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	100	40.473	13.243	53.716
3	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	50	20.236	6.622	26.858
4	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	70	28.331	9.270	37.601
5	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	50	20.236	6.622	26.858
योग:-		370	149.749	49.000	198.749
(ग)	पलामू रीजन				
6	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	50	20.236	6.622	26.858
योग:-		50	20.236	6.622	26.858
(ख)	जमशेदपुर रीजन				
7	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	100	40.473	13.243	53.716
8	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	100	40.473	13.242	53.715
9	सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	50	20.236	6.622	26.858
10	कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा	50	20.236	6.622	26.858
11	पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा	50	20.236	6.622	26.858
12	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	50	20.236	6.622	26.858
योग:-		400	161.890	52.973	214.863
(ग)	दुमका रीजन				
13	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	139	56.257	18.407	74.664
14	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	100	40.473	13.243	53.716
15	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	100	40.473	13.243	53.716
16	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	50	20.236	6.622	26.858
योग:-		389	157.439	51.515	208.954
कुल योग:-		1209	489.314	160.110	649.424

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झाखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्य का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)					
क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			29887.68	1700.00	31587.68
(क)	राँची रीजन				
1	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	50	14.944	0.850	15.794
योग :-		50	14.944	0.850	15.794
(ख)	दुमका रीजन				
2	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	300	89.662	5.100	94.762
योग :-		300	89.662	5.100	94.762
(ग)	पलामू रीजन				
3	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	150	44.832	2.550	47.382
योग :-		150	44.832	2.550	47.382
(घ)	वन्यप्राणी प्रभाग				
4	उप निदेशक, व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	150	44.832	2.550	47.382
योग :-		150	44.832	2.550	47.382
कुल योग		650	194.270	11.050	205.320

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झाखण्ड, राँची



## योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) :

311.33

कार्य दर प्रति हे०

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 311.33						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	933.99	0.00	933.99	
2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग, along with debris removal आदि (All live stumps should be touched)	हे०	30	9339.90	0.00	9339.90	इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। उपरोक्त कार्यों को करने से पूर्व एवं कार्य संपादित करने के पश्चात् संपूर्ण स्थल की विडीयोग्राफी/फोटोग्राफी अवश्य कराई जाय।
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रेंच घेरान अथवा पत्थर घेरान किया जायेगा (i) ट्रेंच घेरान- ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी०, गहराई 1.22 मी०, ड्रेसिंग सहित (ii) पत्थर घेरान- ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी०, ऊँचाई 1.00 मी० (iii) झाड़ी घेरान	प्रति हे० औसतन 6 चैन	12	3735.96	11782.74	15518.70	प्रति हे० ट्रेंच घेरान 6 चैन का प्रावधान है किन्तु वास्तविक स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा। उपर्युक्त ट्रेंच बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों का वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि Live Hedge/Fence तैयार हो सके।
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 क्यू० मी० अधिकतम 200 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हे०	20	6226.60	0.00	6226.60	औसतन 200 पौधे प्रति हे० रोपण के लिए। वन्य जीव क्षेत्रों में पूर्णतः वन्य जीवों के पर्यावास के विकास के अनुकूल प्रजाति के।
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य - कंटूर ट्रेंच - 50, कंटूर साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी कम से कम 2 मीटर ढलान के कोण के अनुसार हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।		40	12453.20	500.00	12953.20	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जायेगा। कंटूर ट्रेंच के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6	गली प्लगिंग	हे०	6	1867.98	0.00	1867.98	नोट देखें
7	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल टो वाल, स्पर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि	हे०	15	4669.95		4669.95	नोट देखें
8	स्थाई पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।		2	622.66	960.40	1583.06	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी
9	वनों की सुरक्षा		2.00	622.66	0.00	622.66	
	योग-		130.00	40472.90	13243.14	53716.04	

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(B)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 358 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021-22 को आधार मानते हुए						
1	Presprouted Root-Shoot एवं Poly Tube Seedling स्थाई पौधशाला (न्यूनतम 40 प्रतिशत)	220	2	716.00	640.00	1356.00	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी
2	वृक्षारोपण		4.40	1575.20	0.00	1575.20	
3	दो कोड़नी निकौनी	हे०	5	1790.00	0.00	1790.00	
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे०	0	0.00	500.00	500.00	
5	सिंगलिंग कार्य		4	1432.00	0.00	1432.00	
6	पौधों की सुरक्षा (25 हे० तक के लिए पशुरक्षक)		7.30	2613.40	0.00	2613.40	ट्रेन्च घेरान की मरम्मत
	योग—		22.70	8126.60	1140.00	9266.60	
(C)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 412 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022-23 को आधार मानते हुए						
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	3007.60	0.00	3007.60	घेरान, कंटूर ट्रेन्च की मरम्मत, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी निकौनी / कॉपिस / कटबैक / सिंगलिंग
	योग—		7.30	3007.60	0.00	3007.60	
(D)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 473 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2023-24 को आधार मानते हुए						
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	3452.90	0.00	3452.90	घेरान, कंटूर ट्रेन्च की मरम्मत, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी निकौनी / कॉपिस / कटबैक / सिंगलिंग
	योग—		7.30	3452.90	0.00	3452.90	
	सकल योग —		167.30	55060.00	14383.14	69443.14	

नोट:-

1. प्रत्येक वनरोपण स्थल पर स्थल आवश्यकतानुसार प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति पश्चात् कार्य संपादित किए जायेंगे।
2. इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

“सिल्वीकल्चर ऑपरेशन योजना” के अंतर्गत बाँस बखारों की सफाई हेतु वन-वर्द्धन के कार्यों की दर तालिका

मजदूरी दर – 311.33 रु०

प्रति 200 बाँस बखार (मानक संख्या प्रति हे०)

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 311.33					
1	सर्वे, सीमांकन एवं बखार का नंबरिंग	3	933.99	0.00	933.99	
2	बाँस बखारों (Clumps) की सफाई एवं Silviculturally available बाँसों का विदोहन कार्य (200 बखार प्रति हे० की मानक संख्या से)	40	12453.20	200.00	12653.20	बड़े बाँस बखारों के सुगम विकास हेतु आवश्यकतानुसार बखार को दो या अधिक भाग में विभक्त करना।
3	वनों में आंतरिक अग्नि रेखा की सफाई, 5 मीटर चौड़ा (प्रत्येक 250 मीटर पर) एवं स्थल से सफाई किए गए बाँसों को हटाना	10	3113.30	0.00	3113.30	
4	बखारों के चारों ओर 1.5 फीट गोलाई में निकोनी एवं मिट्टी को हल्का करना तथा खाद डालना	20	6226.60	1500.00	7726.60	एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा
5	राइजोम प्रिजरवेशन हेतु बखारों में कोड़नी/निकोनी क्षेत्र के बाहर 1 फीट गोलाई में मिट्टी लेकर बखारों पर चढ़ाना	20	6226.60	0.00	6226.60	एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा
6	सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)	3	933.99	0.00	933.99	सफाई के दौरान निकले राइजोम को उन खाली स्थलों पर लगाना, जहाँ बाँस बखारों की संख्या 200 प्रति हे० से कम है।
	कुल	96	29887.68	1700.00	31587.68	
B	वित्तीय वर्ष 2022-23 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 358 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021-22 को आधार मानते हुए					
1	सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)	12	4296.00	0.00	4296.00	
	कुल	12	4296.00	0.00	4296.00	
	सकल योग –	108	34183.68	1700.00	35883.68	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना" (जनजातीय क्षेत्र उपयोग) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण कार्य का स्थल विवरणी

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० मे०)
i	ii	iii	iv	vi	vii	viii	ix	x
(क)	राँची रीजन							
1	राँची वन प्रमंडल, राँची /	राँची वनरोपण प्रक्षेत्र, बेड़ो राँची पश्चिमी वन क्षेत्र, काँके	बेड़ो ओरमांडी	जहानाबाज धकजीवन	बेड़ो-40 ओरमांडी-13	N23°15'41.315" E84°58'45.301" N23°31'9.471" E85°24'11.846"	10, 15, 528, 529, 885, 906, 970, 1390, 1470 10, 44, 63, 108, 117, 114, 354, 355	50 50 100
2	गुमला वन प्रमंडल, गुमला ✓	गुमला वन क्षेत्र गुमला वन क्षेत्र विशुनपुर	सिसई सिसई घाघरा	कोड़ेदाग बरगांव (अंश) अरंगी (अंश)	सिसई-39 सिसई-41 घाघरा-118	N23°12'33.36" E84°43'54.92" N23°09'32.31" E84°41'00.57" N23°11'10.12" E84°39'03.14"	714, 724, 786, 588, 652, 808 3180, 1502, 1620 1604, 1639	30 30 40 100
3	/ खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी	जरिया वन प्रक्षेत्र, कर्मा	कर्मा	जलंगा	कर्मा-51	N23°42'5.3286" E85°2'24.13925"	4, 6, 16, 1249, 1250, 1248, 900, 901, 902	50
4	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा /	कुडू लोहरदगा	लोहरदगा पेशारार	बाघा खाम	कुडू-221 लोहरदगा-44	N23°27'23" E84°41'51" N23°28'00" E84°31'18"	4, 19, 451, 926, 2938 48, 71, 74, 51	30 40 70
5	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा /	सिमडेगा सिमडेगा	सिमडेगा ठेठईटांगर	थोलकोबेड़ा एवं बड़ाबरपानी मेरोमडेगा	सिमडेगा-119, 118 ठेठईटांगर-125	N22°36'45.9" E84°32'41.4" N22°34'56.9" E84°30'30.7"	446, 481, 485, 397 6899, 3884, 3996, 4024	25 25 50

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)
i	ii	iii	iv	vi	vii	viii	ix	x
(ख)	पलामू रीजन							
6	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	लातेहार	लातेहार	बिनगड़ा	लातेहार-197	N23°41'32" E84°23'33"	31, 30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 21, 22, 20, 19, 91	50
योग:-								
(ग)	जमशेदपुर रीजन							50
7	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	मुसाबनी वन प्रक्षेत्र	डुमरिया	भागाबेड़ा	घाटशिला-1064	N22°21'38.205" E086°29'14.2134"	R.F. 435, 436, 437, New-1, 2, 3	50
	/	मानगो वन प्रक्षेत्र	बोड़ाम	डौंगडूंग	पटमदा-169 / 50	N22°56'5.1054" E086°16'27.54012"	814, 100, 757, 860, 841, 846, 883, 731, 877, 886, 955, 960	50
योग:-								
8	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	खरसावाँ	खरसावाँ	सिदमाकुदर	खरसावाँ-187	N22°48'56.3" E85°54'55.6"	1, 300, 333, 4/366, 26/339, 283/337, 271/340, 26/344, 335, 334, 281, 343, 154, 272, 271/341, 244	50
	/	खरसावाँ	कुचाई	व्यांग	खरसावाँ-22	N22°48'15.8" E85°46'59.8"	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 747, 748, 749, 495, 794, 793, 792, 803, 931, 509, 508/1116, 504, 505, 520, 521, 520/1098, 519, 518, 517, 299, 420, 276, 803/1100, 1040, 1039, 995, 979, 978, 1051, 1113, 1064, 1065, 1069, 1070, 1071, 1068, 1072, 1087, 1088, 1066, 1067, 1102, 1076, 1074, 1075, 1073, 933, 976, 977, 1088/1118, 957, 1079, 1084, 1086	50
योग:-								
9	सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा	कोयना प्रक्षेत्र, मनोहरपुर	मनोहरपुर	अंकुष-37	मनोहरपुर-90	N22°18'25.529" E85°13'02.283"	Ankua-37	50
योग:-								
10	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	कोल्हान प्रक्षेत्र, गोईलकेरा	मनोहरपुर	गनमोर पी०एफ० (जोर्जोगुट्ट)	मनोहरपुर-75	N22°27'10.12" E85°13'28.22" N22°27'44.91" E85°13'26.12"	IP	50
योग:-								
								50

~

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० मी)
i	ii	iii	iv	vi	vii	viii	ix	x
11	पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा	सोंगरा वन प्रक्षेत्र, चक्रधरपुर	बन्दगाँव	हेस्साडीह DPF-11	टेबो-398	N22°47'04.95" E85°21'34.77"	1	50
योग:- 50								
12	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा							50
योग:- 50								
(घ)	दुमका रीजन							
13	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका	मसलिया	पहाड़गोड़ा	लखनपुर-08	N24°10'23" E87°13'17"	338P	30
		हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका	मसलिया	बसमता	लखनपुर-17	N24°07'20" E87°13'45"	17/A, 119	29
		हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका	मसलिया	लेटो	अमरपुर-43	N24°28'03" E87°12'47"	391, 392, 395, 396, 345	30
		हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका	मसलिया	बलियाजोर	गोड़माला-09	N24°02'27" E87°11'52"	1997, 2063, 2064, 2065, 2066, 2068, 2069, 2070, 2078, 2080, 2081, 2082, 2091, 2092, 2093	50
योग:- 139								
14	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	पाकुड़ वन प्रक्षेत्र	हिरणपुर	सिमलढाब	हिरणपुर-133	N24°35'11.66" E87°43'30.23"	41	40
		हिरणपुर वन प्रक्षेत्र	लिट्टीपाड़ा	दासगोड़ा	सुरजबेड़ा-09	N24°38'26" E87°30'45"	77, 176, 206, 88, 309	50
		हिरणपुर वन प्रक्षेत्र	लिट्टीपाड़ा	छोटासुरजोड़ा	सिमलौंग-02	N24°46'050" E87°27'324"	784, 764, 70, 792	10
योग:- 100								
15	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	बड़हरवा दामिन प्रक्षेत्र, बड़हरवा	बोरियो	शीतलपुर	बोरियो-6	N25°05'65.12" E87°55'30.91"	541, 580	50
		राजमहल दामिन प्रक्षेत्र, राजमहल	तालझारी	चपालपहाड़	तालझारी-29 / पी०	N24°8'58.87" E87°45'1.80"	1	50
योग:- 100								
योग:- 100								

77

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)
i	ii	iii	iv	vi	vii	viii	ix	x
16	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा /	कुण्डहित	कुण्डहित	सोनाहरा	कुण्डहित-24	N24.026411 E87.16475	371, 1, 14, 312, 327, 308, 453, 472, 503, 200, 739, 1079, 1073, 1074, 906, 80	28
		कुण्डहित	कुण्डहित	कमलिया	कुण्डहित-30	N23.993208 E87.14981	498, 197, 231, 138, 840, 418, 238, 398, 541, 1	22
योग:-								50
कुल योग:-								1209

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना" (जनजातीय क्षेत्र उपयोग) के अंतर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन-वर्द्धन कार्य का स्थल विवरणी

क्र० स०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना स०	जीपी०एस० को-ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० म०)
i	ii	iii	iv	vi	vii	viii	ix	x
1	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	कुरुमगढ़ वन क्षेत्र	रायडीह	नवागढ़	रायडीह-32	N22°55'49.4" E84°27'53.7"	3524, 3693, 3445	50
योग:-								
2	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	दुमका दामिन प्रक्षेत्र, काठीकुण्ड	गोपीकान्दर	भागाबंध- भुसकीडंगाल	गोपीकान्दर-13, गोपीकान्दर-14	N24°24'37.16" E87°27'25.28"		100
		दुमका दामिन प्रक्षेत्र, काठीकुण्ड	काठीकुण्ड	अम्बाजोड़ा	नारगंज-57	N24°24'43.77" E87°27'23.26"		100
		दुमका दामिन प्रक्षेत्र, काठीकुण्ड	काठीकुण्ड	गर्खव, लकड़ाफेला	काठीकुण्ड-24	N24°24'25.24" E87°27'09.87"		100
योग:-								
3	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	लातेहार	लातेहार	नारायणपुर	लातेहार-235	N23°38'13.29" E84°27'7.19"	554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 570	90
		चंदवा	चंदवा	चेदुआग	बालूमाथ-273	N23°43'7" E84°42'20"	1, 2, 3, 4, 715, 716, 717, 718, 1040, 1041	30
		चंदवा	चंदवा	लटदाग	बालूमाथ-253	N23°42'30" E84°42'5"	17, 135	30
योग:-								
4	उप निदेशक, व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी वन प्रमंडल, मेदिनीनगर							150
योग:-								
सकल योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग:-								
योग								





## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-35/2021/772

दिनांक - 24-Nov-2021

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते  State Scheme : NA Central Scheme : NA	59484	DRNFWL013  ASHOK KUMAR DUBEY  DFO. RANCHI FORES DIVISION RA  03 - मजदूरी	4,047,300.00  रुपये चालीस लाख सैतालीस हजार तीन सौ
2	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते  State Scheme : NA Central Scheme : NA	59485	GMLFOR001  SRIKANT IFS  D.F.O. GUMLA  03 - मजदूरी	5,541,700.00  रुपये पचपन लाख इकतालीस हजार सात सौ
3	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते  State Scheme : NA Central Scheme : NA	59488	RNCFORK01  KULDEEP MEENA  D.F.O KHUNTI  03 - मजदूरी	2,023,600.00  रुपये बीस लाख तेइस हजार छः सौ

योग:

11,612,600.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड़ सोलह लाख बारह हजार छः सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	59489	LDGFOR001  SRI ARVIND KUMAR  DIV.FOREST OFFICER  03 - मजदूरी	2,833,100.00  रुपये अठाइस लाख तैतीस हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	59491	SDGFOR002  ARVIND KUMAR GUPTA  DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD  03 - मजदूरी	2,023,600.00  रुपये बीस लाख तेइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	59492	LTRFOR001  RAUSHAN KUMAR  DFO FOREST DIV LATEHAR  03 - मजदूरी	6,506,800.00  रुपये पैंसठ लाख छः हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये दो करोड उन्तीस लाख छहत्तर हजार एक सौ

11,363,500.00

क्रमिक योग:

22,976,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	59493	JSRFOR051  MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.  03 - मजदूरी	4,047,300.00 रुपये चालीस लाख सैतालीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	59496	SKLFOR001  ADITYA NARAYAN  D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN  03 - मजदूरी	4,047,300.00 रुपये चालीस लाख सैतालीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	59498	SGHFOR011  CHANDRAMAOULI PRASAD SINHA D.F.O.SARANDA FOREST.DIV.JFS  03 - मजदूरी	2,023,600.00 रुपये बीस लाख तेइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड तीस लाख चौरानवे हजार तीन सौ

10,118,200.00

क्रमिक योग:

33,094,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. ECCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	59500	SGHFOR002 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA 03 - मजदूरी	2,023,600.00 रुपये बीस लाख तेइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	59504	SGHFOR003 SRI. NITISH KUMAR (IFS) D.F.O.PORAHAT FOREST DIV. 03 - मजदूरी	2,023,600.00 रुपये बीस लाख तेइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	59507	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV. 03 - मजदूरी	2,023,600.00 रुपये बीस लाख तेइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड इनकानये लाख पैसठ हजार एक सौ

6,070,800.00

क्रमिक योग:

39,165,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपन्न कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	59512	DMKFOR010 AVIROOP SINHA D.F.O.DUMKA 03 - मजदूरी	14,591,900.00 रुपये एक करोड पैतालीस लाख इसकानये हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	59514	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	4,047,300.00 रुपये चालीस लाख सैतालीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	59515	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदूरी	4,047,300.00 रुपये चालीस लाख सैतालीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये छः करोड अठारह लाख इकावन हजार छः सौ

22,686,500.00

क्रमिक योग:

61,851,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCF DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	59517	JMTFOR001  BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA  03 - मजदूरी	2,023,600.00  रुपये बीस लाख तेइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	59521	PLMFOR068  MUKESH KUMAR  DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED  03 - मजदूरी	2,485,200.00  रुपये चौइस लाख पिचयासी हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	59528	PLMFOR068  MUKESH KUMAR  DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED  03 - मजदूरी	1,998,000.00  रुपये उन्नीस लाख अठानवे हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये छः करोड तिरयासी लाख अठानवे हजार चार सौ

6,506,800.00

क्रमिक योग:

68,358,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	59532	DRNFWL013  ASHOK KUMAR DUBEY  DFO, RANCHI FORES DIVISION RA  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,324,300.00  रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
20	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	59535	GMLFOR001  SRIKANT IFS  D.F.O. GUMLA  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,409,300.00  रुपये चौदह लाख नौ हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
21	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	59538	RNCFORK01  KULDEEP MEENA  D.F.O KHUNTI  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	662,200.00  रुपये छः लाख बासठ हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये सात करोड सत्र ह लाख चौपन हजार दो सौ

3,395,800.00

क्रमिक योग:

71,754,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	59541	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICE	927,000.00 रुपये नौ लाख सत्ताइस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
23	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	59544	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	662,200.00 रुपये छः लाख बासठ हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
24	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	59545	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR	917,200.00 रुपये नौ लाख सत्रह हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	

योग:

रुपये सात करोड बयालीस लाख साहठ हजार छः सौ

2,506,400.00

क्रमिक योग:

74,260,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCF DEV JHARKHAND



क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	59546	JSRFOR051  MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,324,300.00  रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
26	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	59547	SKLFOR001  ADITYA NARAYAN  D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,324,200.00  रुपये तेरह लाख चौइस हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
27	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	59548	SGHFOR011  CHANDRAMAOULI PRASAD SINHA D.F.O.SARANDA FOREST.DIV.JFS  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	662,200.00  रुपये छः लाख बासठ हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये सात करोड पचहत्तर लाख इकहत्तर हजार तीन सौ

3,310,700.00

क्रमिक योग:

77,571,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	59550	SGHFOR002  SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	662,200.00 रुपये छः लाख बासठ हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
29	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	59552	SGHFOR003  SRI. NITISH KUMAR (IFS) D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	662,200.00 रुपये छः लाख बासठ हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
30	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	59553	SGHFOR010  SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	662,200.00 रुपये छः लाख बासठ हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये सात करोड पिनचानये लाख सत्तावन हजार नौ सौ

1,986,600.00

क्रमिक योग:

79,557,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL POCE DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	59555	DMKFOR010 AVIROOP SINHA D.F.O.DUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	2,350,700.00 रुपये तेइस लाख पचास हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
32	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	59557	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
33	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	59558	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये आठ करोड पैतालीस लाख सत्तावन हजार दो सौ

4,999,300.00

क्रमिक योग:

84,557,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	59559	JMTFOR001  BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	442,100.00  रुपये चार लाख बयालीस हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
35	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	59560	JMTFOR001  BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	220,100.00  रुपये दो लाख बीस हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
36	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	59562	PLMFOR068  MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	255,000.00  रुपये दो लाख पचपन हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये आठ करोड चौपन लाख चौहत्तर हजार चार सौ

917,200.00

क्रमिक योग:

85,474,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCF DEV JHARKHAND

RANCH